रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 1994/पौष 16, 1915
No. 6] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1994/PAUSA 16, 1915

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1994

का. आ. 8 (अ):—केन्द्रीय सरकार ने, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का. आ. 392 (अ) तारीख 31 मई, 1989 द्वारा समुचित प्राधिकरण बंगलौर गठित किया था;

और श्री पी. के. राठी सदस्य, समुचित प्राधिकरण, बंगलौर को 22-11-93 से 29-11-93 तक अर्जित छुट्टी मंजूर कर दी गई है ;

और श्री डी. वी. एस. शर्मा, सदस्य समुचित प्राधिकरण, मद्रास को 22-11-93 से शुरु होने वाली और 29-11-93 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बोर्ड के टेलेक्स तारीख 25-11-93 के आदेश द्वारा श्री पी. के. राठी के स्थान पर उक्त समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में अतिरिक्त कार्य भार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 392 (अ), तारीख 31 मई, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में, "समुचित प्राधिकरण, बंगलौर" से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने आने वाली मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) श्री डी. वी. एस. शर्मा, मुख्य इंजीनियर"।

[फा. सं. 316/53/93—आ. टी.]

प्रवीण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1994

S.O. 8(E) —Whereas in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269 UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government constituted appropriate authority, Bangalore vide Notification No. S.O. 392(E) dated 31st May, 1989 ;

And whereas Shri P. K. Ratho, Member, Appropriate Authority, Bangalore has been granted earned leave with effect from 22-11-93 to 29-11-93;

And whereas Shri D. V. S. Sarma, Member, Appropriate Authority, Madras has been appointed to hold additional charge as a Member of the said appropriate authority in place of Shri P. K. Ratho vide Board's order telex dated 25-11-93 for the period beginning from 22-11-93 and ending with 29-11-93;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269 UB of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. S.O. 392(E), dated 31st May, 1989, namely :—

In column 2 of the Table to the said notification, for item (iii) occurring against serial number 1 relating to "Appropriate Authority, Bangalore" the following item shall be substituted, namely :—

"(iii) Shri D. V. S. Sarma, Chief Engineer."

[F. No. 316|53|93-OT]

PRAVIN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994